

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) और धन-शोधन रोधी (एएमएल) उपाय संबंधी दिशानिर्देश

1. उद्देश्य

केवाईसी नीति का निर्माण निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु एक मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए किया गया है:

- केवाईसी प्रक्रियाओं से हड़को को अपने ग्राहकों और उनके वित्तीय लेन-देन को जानने और समझने में सहायता मिलेगी, जिसके फलस्वरूप संबंधित जोखिमों को विवेकपूर्ण ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा।
- हड़को को केवाईसी मानदंडों/एएमएल मानकों के संबंध में सभी कानूनी और नियामक बाध्यताओं के अनुपालन करने और संबंधित विषयों से निपटने वाले विभिन्न सरकारी निकायों के साथ सहयोग करने में सक्षम बनाना।
- धन-शोधन या आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों के लिए आपराधिक तत्वों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में हड़को का उपयोग किए जाने से रोकना।
- हड़को ने केवाईसी और एएमएल उपायों के संबंध में नीति तैयार की है जिसका अनुमोदन हड़को बोर्ड द्वारा 22 दिसंबर 2010 को किया गया था। दिशानिर्देशों को 26 जुलाई 2016 को संशोधित किया गया था। दिशानिर्देशों का पुनः अद्यतन दिनांक 25 फरवरी, 2016 के आरबीआई मास्टर डायरेक्शन-अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) के अनुरूप किया गया है तथा पिछली बार दिनांक 10 मई, 2021 को इसका पुनः अद्यतन किया गया।

2. धन-शोधन

धन-शोधन का अर्थ है दागी धन को मुख्य धारा में लाना ताकि इसके दूषित चरित्र को कम किया जा सके और इसे वित्तीय प्रणाली में सामान्य धन के रूप में स्वीकार्यता दी जा सके। धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और अधिसूचित नियमों द्वारा बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और बिचौलियों पर कुछ बाध्यताएं आरोपित की गई हैं ताकि ग्राहकों की पहचान का सत्यापन, अभिलेखों का अनुरक्षण किया जा सके और वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईओ) को जानकारी दी जा सके।

3. परिभाषाएँ

केवाईसी नीति के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित पद उन्हें समनुदेशित अर्थ धारण करेंगे :

(i) **बेनामी लेन-देन:** इसका अर्थ है कोई लेनदेन या ऐसी व्यवस्था है जहां कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को अंतरित की जाती है, अथवा उसके स्वामित्व में है तथा प्रतिफल धन का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है और इस संपत्ति को उस व्यक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तत्काल या भविष्य के लाभ के लिए स्वामित्व में लिया जाता है जिसने प्रतिफल धन को प्रदान किया है।

(ii) **हितप्रद स्वामी:** का अर्थ वह व्यक्ति है जो अंततः एक प्रतिवेदी इकाई के ग्राहक का स्वामी होता है या उसका

नियंत्रण करता है और इसमें एक व्यक्ति शामिल है जिसकी ओर से लेनदेन किया जा रहा है और इसमें एक व्यक्ति शामिल है जो एक न्यायिक व्यक्ति पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखता है।

(iii) केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर): केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री वित्तीय क्षेत्र में ग्राहकों के केवाईसी अभिलेखों का एक केंद्रीयकृत भंडार है, जिसमें पूरे क्षेत्र में समान केवाईसी मानदंड तथा अंतर-प्रयोज्यता होते हैं तथा जिसका उद्देश्य जब भी ग्राहक किसी वित्तीय इकाई के साथ संबंध स्थापित करता है, तो हर बार केवाईसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और उनके सत्यापन कराये जाने के बोझ को कम करना है।

(iv) ग्राहक: एक व्यक्ति या इकाई जो खाते का रखरखाव करता/करती है और/या हडको के साथ व्यावसायिक संबंध रखता/रखती है

- वह जिसकी ओर से खाते का अनुरक्षण किया जाता है (यानी, हितप्रद स्वामी);
- पेशेवर बिचौलियों, जैसे शेयर दलाल, चार्टर्ड एकाउंटेंट, सॉलिसिटर, आदि द्वारा कानून के तहत अनुमति के अनुसार किए गए लेन-देन के लाभार्थी, और
- वित्तीय लेन-देन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति या इकाई जो हडको के लिए महत्वपूर्ण ख्याति या अन्य जोखिम पैदा कर सकता/सकती है।

(v) समतुल्य ई-दस्तावेज: का अर्थ है किसी दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक समकक्ष, जिसे डिजिटल हस्ताक्षर सहित इस दस्तावेज को निर्गमन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया, तथा इसमें सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले बिचौलियों द्वारा सूचना के परिरक्षण और प्रतिधारण) नियम, 2016 नियम 9 के अनुसार ग्राहकों को जारी किए गए डिजिटल लॉकर खाते को जारी किए गए दस्तावेज।

(vi) एफएटीसीए : का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) का विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशी वित्तीय संस्थानों को अमेरिकी करदाताओं या उन विदेशी इकाइयों द्वारा रखे गए वित्तीय खातों के बारे में रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, जिनमें अमेरिकी करदाताओं का पर्याप्त स्वामित्व हित होता है।

(vii) अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) अभिज्ञापक: इसका अर्थ केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री द्वारा किसी ग्राहक को निर्दिष्ट अद्वितीय संख्या या कूट है।

(viii) केवाईसी टेम्प्लेट: इसका अर्थ व्यक्तियों और विधिक इकाइयों के लिए सीकेवाईसीआर को केवाईसी डेटा परितुलित करने और रिपोर्ट करने की सुविधा के लिए निर्धारित टेम्प्लेट हैं।

(ix) आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज: इसका अर्थ पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार संख्या, आधार संख्या के स्वामित्व का प्रमाण, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड जो राज्य सरकार के अधिकारी के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो, और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का विवरण अथवा हडको द्वारा वांछित कोई अन्य दस्तावेज है।

(x) व्यक्ति: का वही अर्थ है जो धन-शोधन निवारण अधिनियम 2002 में दिया गया है और इसमें शामिल हैं:

- क. एक व्यक्ति,
- ख. एक हिंदू अविभक्त कुटुम्ब,

- ग. एक कंपनी,
- घ. एक फर्म,
- ड. व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का एक निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं,
- च. उपर्युक्त व्यक्तियों (क से ड) में से किसी एक के भीतर नहीं आने वाला प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, और उपर्युक्त व्यक्तियों (क से घ) में से किसी एक के स्वामित्व या नियंत्रण में कोई एजेंसी, कार्यालय या शाखा

(xi) राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति:

राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी बाहरी देश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे जाते हैं या सौंपे गए हैं, जैसे राज्याध्यक्ष या शासनाध्यक्ष, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी/न्यायिक/सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगम के वरिष्ठ कार्यकारी, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी, आदि।

(xii) संदेहास्पद लेन-देन: का अर्थ यथा परिभाषित निम्नलिखित "लेन-देन" है, चाहे वह नकद में किया गया हो या नहीं, जो सद्भावना से कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए हो:

- क. संदेह के एक उचित आधार को जन्म देता है कि इसमें शामिल मूल्य की परवाह किए बिना धन शोधन निवारण अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट किसी अपराध की आय हो सकती है; या
- ख. असामान्य या अनुचित जटिलता की परिस्थितियों में किया गया लेन-देन प्रतीत होता है; या
- ग. ऐसा प्रतीत होता है कि इसका आर्थिक औचित्य या प्रामाणिक उद्देश्य नहीं है; या
- घ. संदेह के एक उचित आधार को जन्म देता है कि इसमें आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों का वित्तपोषण शामिल हो सकता है।

स्पष्टीकरण: आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े लेन-देन में धन से जुड़े लेनदेन शामिल हैं या इससे संबंधित हैं, या आतंकवाद, आतंकवादी कृत्यों या किसी आतंकवादी, आतंकवादी संगठन या उन लोगों द्वारा उपयोग किए जाने का संदेह है जो आतंकवाद का वित्तपोषण करते हैं या आतंकवाद का वित्तपोषण करने का प्रयास कर रहे हैं।

(xiii) विशिष्ट ग्राहक पहचान कूट: का अर्थ है नए संबंध बनाते समय व्यक्तिगत ग्राहकों को आवंटित विशिष्ट ग्राहक-आईडी।

जब तक यहां परिभाषित नहीं किया जाता है, तब तक अन्य सभी अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो मास्टर दिशा-अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निर्देश, 2016, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1935, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002, धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005, आधार वित्तीय) और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम, इसमें कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन, या उसके लिए या व्यावसायिक बोलचाल में उपयोग किया जाता है, जैसी भी स्थिति हो, में समनुदेशित है।

4. ग्राहक स्वीकृति नीति (सीएपी)

ग्राहक स्वीकृति नीति के भाग के रूप में आवश्यक टेम्प्लेट (पॉलिसी दस्तावेज़ के अनुलग्नक के रूप में रखे गए फॉर्म) को विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के लिए जानकारी और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ों के संग्रह हेतु निर्धारित किये गये हैं।

ग्राहक से ली गई जानकारी जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए और ग्राहक से कोई अन्य जानकारी मांगे जाने की आवश्यकता होने पर उसकी सहमति से अलग से मांगी जानी चाहिए।

4.1 ग्राहक की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया जाएगा:

- 1) विशिष्ट ग्राहक पहचान कूट (यूसीआईसी) स्तर पर ग्राहक सम्यक तत्परता प्रक्रिया को लागू किया जाना है, इस प्रकार यदि हडको का वर्तमान केवाईसी अनुपालन ग्राहक इसके साथ एक और खाता खोलना चाहता है, केवाईसी जानकारी में परिवर्तन क अध्यक्षीन नए सिरे से ग्राहक सम्यक तत्परता अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- 2) जिन परिस्थितियों में, किसी ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति/इकाई की ओर से कार्य करने की अनुमति दी जाती है, उन्हें प्रक्रिया के दौरान स्पष्ट रूप से बताया जाता है।
- 3) ग्राहक के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं किया जाता है जहां ग्राहक की पहचान किसी ऐसे व्यक्ति या इकाई से मेल खाती है जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर परिचालित प्रतिबंध सूची में प्रकाशित होता है।
- 4) जब स्थायी खाता संख्या प्राप्त की जाती है, उसे जारी करने वाले प्राधिकारी की सत्यापन सुविधा से सत्यापित किया जाएगा।
- 5) जहां ग्राहक से समतुल्य ई-दस्तावेज प्राप्त किया जाता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापित किया जाएगा।
- 6) ग्राहक को ग्राहक स्वीकृति नीति (सीएपी) के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। बेहतर समझ के लिए कुछ निदर्शी उदाहरण दिए गए हैं:-
 - i. **निम्न जोखिम श्रेणी के ग्राहक** - सरकारी विभाग और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियाँ * , सरकारी, पीएसयू, निजी क्षेत्र में सुपरिभाषित वेतन संरचना वाले वेतनभोगी कर्मचारी, बैंक, विश्वविद्यालय, सांविधिक निकाय आदि (उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को छोड़कर)।
*संदर्भ: आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीओडी.एएमएल.बीसी.सं.24/14.01.001/2013-14 दिनांक 1 जुलाई 2013
 - ii. **मध्यम जोखिम श्रेणी के ग्राहक** - सहकारी समितियां, संघ, पूर्त न्यास आदि।
 - iii. **उच्च जोखिम श्रेणी के ग्राहक** - उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति, अनिवासी ग्राहक, न्यास, एनजीओ और दान प्राप्त करने वाले संगठन, नजदीकी पारिवारिक शेयरधारिता या लाभप्रद स्वामित्व वाली कंपनियां, 'निष्क्रिय साझेदार' वाली फर्म, विदेशी मूल के राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी), गैर मुखोन्मुख ग्राहक, और उपलब्ध सार्वजनिक सूचना के अनुसार संदिग्ध ख्याति वाले ग्राहक आदि।
- 7) ग्राहकों की निम्न और मध्यम जोखिम श्रेणी के मामले में, कानूनी नाम, कार्यालय / निवास का पता,

पैन कार्ड, बैंक खाता संख्या, नियोक्ता के प्रमाणीकरण के माध्यम से पहचान के आधार पर ग्राहक की पहचान की जानी चाहिए। परंतु, उच्च जोखिम श्रेणी के ग्राहकों के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:

- ग्राहक का पहचान प्रमाण - बैंक खाता संख्या का विवरण, नवीनतम आयकर रिटर्न की प्रति, निधि का स्रोत, कार्यकलाप का स्थान और ग्राहक प्रोफाइल के आधार पर कोई अन्य दस्तावेज।
- इकाई निवेशक या मौजूदा जमा का लाभप्रद स्वामी बाद में पीईपी बन जाता है तो बड़ी हुई निगरानी की जाएगी।

4.2 ग्राहक स्वीकृति नीति की निगरानी

ऊपर वर्णित ग्राहक स्वीकृति नीति के संचालन की निगरानी ग्राहक संबंधों के निम्नलिखित पहलुओं पर की जाएगी।

- क) बांड आवेदन पत्र प्रपत्र/ऋण आवेदन पत्र प्रपत्र के निबंधन और शर्तों में जोखिम अवबोधनों के मापदंडों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें स्थान (पता) और भुगतान की विधि (चेक/डीडी/पी.ओ./आरटीजीएस/एनईएफटी) हो सकता है। नकद में कोई राशि स्वीकार नहीं की जाती है।
- ख) सारणी-1 (सीआईपी कॉलम के तहत संदर्भित) में बताए गए सभी प्रासंगिक पहचान दस्तावेजों की आवश्यकता ग्राहकों (निवेशकों/उधारकर्ताओं) की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में होगी।
- ग) निर्धारित केवाईसी दिशानिर्देशों के माध्यम से ग्राहकों (निवेशकों/उधारकर्ताओं) की पहचान के बिना बांड/ऋण के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- घ) जोखिम वर्गीकरण के आधार पर नए ग्राहकों के लिए ग्राहक प्रोफाइल खोली जाएगी। इस प्रोफाइल को गोपनीय दस्तावेज के रूप में रखा जाएगा। तथापि, ग्राहकों के बारे में विवरण प्राप्त करने में गोपनीयता/शिष्टाचार को बनाए रखा जाएगा।
- ड) व्यक्तिगत निवेशक (कम जोखिम श्रेणी) के मामले में, पहचान का प्रमाण और आवासीय पते का प्रमाण प्राप्त करके पहचान प्रक्रिया सरल होगी।
- च) मध्यम या उच्च जोखिम श्रेणी के निवेशकों के मामले में; पहचान प्रमाण में नाम और पते आदि का सत्यापन शामिल होगा। ग्राहक की पृष्ठभूमि, प्रकृति, धन के स्रोत आदि का सम्यक तत्परता और सत्यापन केवल ग्राहकों द्वारा सत्यापन के लिए प्रदान किए गए दस्तावेजों के अध्ययन की सीमा तक ही सीमित होगा जैसा कि दिशा-निर्देशों में संकेत दिया गया है; यानी आय/संपत्ति के स्रोत स्थापित करने के लिए आईटी रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है।
- छ) जिन ग्राहकों के धन का स्रोत स्पष्ट नहीं है, उनके लिए उन्नत सम्यक तत्परता लागू की जा सकती है।

5. ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी)

- i. ग्राहक की पहचान का अर्थ है ग्राहक की पहचान करना और आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के आधार पर ग्राहक और लाभप्रद स्वामी की पहचान और सत्यापन सहित विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोत दस्तावेजों, डेटा या जानकारी का उपयोग करके उसकी पहचान की पुष्टि करना। हडको प्रत्येक ग्राहक की पहचान और संबंध की अभीष्ट प्रकृति के उद्देश्य को सत्यापित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त जानकारी प्राप्त करेगा। हडको यह सुनिश्चित करेगा कि की गई सम्यक तत्परता मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल पर आधारित है। दोनों प्रकार के ग्राहकों (व्यक्तिगत, कॉर्पोरेट आदि) के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता अलग-अलग होगी।
 - क. उन ग्राहकों के लिए जो प्राकृतिक व्यक्ति हैं, ग्राहकों की पहचान, उनके पते, स्थान और हाल की तस्वीर को सत्यापित करने के लिए दस्तावेज/डेटा एकत्र किया जाना चाहिए।
 - ख. उन ग्राहकों के लिए जो कानूनी इकाइयां हैं
 - उचित और प्रासंगिक दस्तावेज के माध्यम से इकाई की कानूनी स्थिति सत्यापित करें।
 - कानूनी इकाई की ओर से संचालित या अधिकृत करने के लिए प्राधिकरण की जाँच करें और पहचान सत्यापित करें।
 - इकाई की स्वामित्व और नियंत्रण संरचना को इस तरह से समझा जाना चाहिए कि कानूनी इकाई को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक व्यक्ति का निर्धारण किया जा सके।
- ii. यदि ग्राहक द्वारा उल्लिखित वर्तमान पता और पहचान प्रमाण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज एक समान है, तो दस्तावेज को पहचान और पते दोनों के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
- iii. यदि ग्राहक द्वारा उल्लिखित वर्तमान पता पहचान के प्रमाण के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज पर दिए गए पते से अलग है, तो मौजूदा निर्देशों के अनुसार पते का एक अलग प्रमाण प्राप्त किया जा सकता है।
- iv. संबंधित अधिकारी ग्राहक की पहचान और हडको के साथ संबंधों के इच्छित स्वरूप के उद्देश्य के संबंध में ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी से स्वयं को पर्याप्त रूप से संतुष्ट करेगा। ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी/दस्तावेजों के संबंध में संबंधित अधिकारी की संतुष्टि इस प्रकार होनी चाहिए कि यदि परिस्थितियों की आवश्यकता हो, तो वह सक्षम अधिकारियों को इस बात से संतुष्ट करने की स्थिति में होगा कि ग्राहक सम्यक तत्परता (सीडीडी) का समुचित अनुपालन उनके द्वारा ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल/वर्गीकरण के आधार पर किया जा रहा है।

किसी भी ग्राहक की निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से पहचान की जानी चाहिए: -

सारणी - I

| क्र. सं. | ग्राहकों की श्रेणियाँ | अपेक्षित पहचान दस्तावेज |
|----------|---|---|
| 1. | व्यक्ति -कानूनी नाम और उपयोग किया गया कोई अन्य नाम | (i) पासपोर्ट (ii) पैन कार्ड या उसके समतुल्य ई-दस्तावेज या आयकर नियम, 1962 में परिभाषित फॉर्म संख्या 60 (iii) मतदाता पहचान पत्र (iv) ड्राइविंग लाइसेंस (v) पहचान |

| | | |
|----|--|---|
| | <p>-सही स्थायी पता</p> | <p>पत्र (हडको की संतुष्टि के अध्यक्षीन) (vi) हडको की संतुष्टि के लिए ग्राहक की पहचान और निवास की पुष्टि करने वाले किसी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक प्राधिकरण या लोक सेवक से पत्र</p> <p>(vii) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता और आधार संख्या का विवरण हो।</p> <p>(viii) व्यवसाय की प्रकृति और ग्राहक की वित्तीय स्थिति के संबंध में ऐसे अन्य दस्तावेज, या उनके समतुल्य ई-दस्तावेज, जो हडको द्वारा अपेक्षित हो सकते हैं।</p> <p>(i) टेलीफोन बिल (ii) खाता विवरण</p> <p>(iii) किसी भी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक प्राधिकरण से पत्र</p> <p>(iv) बिजली बिल (v) राशन कार्ड (vi) नियोक्ता से पत्र (हडको की संतुष्टि के अध्यक्षीन) (कोई एक दस्तावेज जो हडको की संतुष्टि के लिए ग्राहक की जानकारी प्रदान करता है, पर्याप्त होगा)</p> |
| 2. | <p>कंपनियों (निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतियां या उसके समतुल्य ई-दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे)</p> <p>-कंपनी का नाम</p> <p>-व्यवसाय का मुख्य स्थान</p> <p>-कंपनी का डाक का पता</p> <p>-टेलीफोन/फैक्स नंबर</p> | <p>(i) निगमन का प्रमाण पत्र (ii) संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद (iii) निदेशक मंडल से संकल्प और इसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को इसकी ओर से कारबार संचालन के लिए दिया गया मुख्तारनामा (iv) कंपनी की ओर से कार्य व्यापार करने के लिए मुख्तारनामा धारक प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों के संबंध में एक आधिकारिक वैध दस्तावेज (v) कंपनी का स्थायी खाता संख्या (vi) टेलीफोन बिल की प्रति</p> |
| 3. | <p>भागीदारी फर्म (निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतियां या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे)</p> <p>-वैध नाम</p> <p>-पता</p> <p>- सभी भागीदारों के नाम और उनके पते</p> <p>-फर्म और भागीदारों के टेलीफोन नंबर</p> | <p>(i) पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि पंजीकृत है</p> <p>(ii) भागीदारी विलेख (iii) फर्म के किसी भागीदार या कर्मचारी को उसकी ओर से कारबार संचालन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा (iv) मुख्तारनामा रखने वाले भागीदारों और व्यक्तियों की पहचान करने वाला कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज और उनके पते (v) स्थायी खाता संख्या (vi) फर्म/भागीदारों के नाम पर टेलीफोन बिल।</p> |
| 4. | <p>न्यास और प्रतिष्ठान (निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतियां या उसके समतुल्य ई-दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे)</p> <p>-न्यासियों, व्यवस्थापकों, लाभार्थियों</p> | <p>(i)पंजीकरण का प्रमाण पत्र, यदि पंजीकृत है</p> <p>(ii) न्यास विलेख (iii) अपनी ओर से कारोबार संचालन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा (iv) ट्रस्टी, व्यवस्थापकों, लाभार्थियों और मुख्तारनामा, संप्रवर्तकों/प्रबंधकों/निदेशकों और उनके पते की पहचान करने के लिए</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | और हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम -संप्रवर्तकों/ प्रबंधकों/निदेशकों और लाभार्थियों के नाम और पते -टेलीफोन/फैक्स नंबर | कोई आधिकारिक वैध दस्तावेज (v) प्रतिष्ठान /संगम के प्रबंध निकाय का संकल्प (vi) स्थायी खाता संख्या या ट्रस्ट का फॉर्म 60 (vii) टेलीफोन बिल। |
| 5 | अनिगमित संघ या व्यक्तियों का एक निकाय (निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतियां या उसके समतुल्य ई-दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे) | (i) ऐसे संगम या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंध निकाय का संकल्प (ii) उसकी ओर से लेन-देन करने के लिए उसे दिया गया मुख्तारनामा (iii) लाभार्थी स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों, जैसा भी मामला हो, से संबंधित कोई आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज, कि वह उसकी ओर से लेन-देन करने के लिए मुख्तारनामा धारक है (iv) अनिगमित संगम या व्यक्तियों के निकाय का स्थायी खाता संख्या या प्रपत्र 60 (v) और ऐसी अन्य जानकारी जो सामूहिक रूप से ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय के विधिक अस्तित्व को स्थापित करने के लिए हडको द्वारा अपेक्षित हो। स्पष्टीकरण: गैर पंजीकृत ट्रस्ट/भागीदारी फर्मों को 'अनिगमित संगम' शब्द के तहत शामिल किया जाएगा स्पष्टीकरण: पद 'व्यक्तियों का निकाय' में सोसायटी शामिल हैं |
| 6 | एकल स्वामित्व वाली फर्म | एकल स्वामित्व वाली फर्म के नाम पर खाता खोलने के लिए, व्यक्ति (स्वामी) की सीडीडी की जाएगी। उपरोक्त के अलावा, मालिकाना फर्म के नाम पर व्यवसाय/गतिविधि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दो दस्तावेज या उसके समतुल्य ई- दस्तावेज भी प्राप्त किए जाएंगे। (i) पंजीकरण प्रमाण पत्र (ii) दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र / लाइसेंस। (iii) जीएसटी और आयकर रिटर्न (iv) जीएसटी प्रमाण पत्र (iv) डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा मालिकाना फर्म के लिए जारी आईईसी (आयातक निर्यातक कोड) या किसी संविधि के तहत निगमित किसी पेशेवर निकाय द्वारा मालिकाना फर्म के नाम पर जारी लाइसेंस / व्यवसाय का प्रमाण पत्र शामिल है। (v) जहां फर्म की आय परिलक्षित होती है, एकल मालिक के नाम पर आयकर अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित / स्वीकृत संपूर्ण आयकर विवरणी (सिर्फ पावती नहीं) (vi) उपयोगिता बिल जैसे बिजली, पानी, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, आदि। |
| 7. | ऐसे विधिक व्यक्ति जो विशेष रूप से पूर्वतर भाग में शामिल नहीं हैं जैसे | (i) इकाई की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम दर्शाने वाले दस्तावेज (ii) उसकी ओर से लेन-देन |

| | |
|---|--|
| <p>सोसायटी, विश्वविद्यालय और ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकाय (निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतियां या उसके समतुल्य ई-दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे)</p> | <p>करने के लिए मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्तियों की पहचान करने वाला कोई भी आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (iii) ऐसे किसी इकाई/विधिक व्यक्ति के विधिक अस्तित्व को स्थापित करने के लिए ऐसे दस्तावेज जो हडको द्वारा अपेक्षित हों ।</p> |
|---|--|

कंपनी द्वारा जारी पब्लिक इश्यू/प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के मुद्दे के संबंध में पात्र निवेशकों/प्रतिभागियों का केवाईसी सत्यापन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय - समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

5.1 ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी) की निगरानी

ऊपर बताए अनुसार ग्राहक पहचान प्रक्रिया की निगरानी निम्नलिखित पहलुओं के माध्यम से की जाएगी:-

- इन दिशानिर्देशों की तालिका-1 में दिए गए विवरण के अनुसार विधिक स्थिति/इकाई को निर्धारित दस्तावेजों के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा ।
- सार्वजनिक जमा योजना के निबंधनों और शर्तों के तहत, पहले जमाकर्ता और संयुक्त धारक कानूनी रूप से मोचन अवधि तक जमा को संचालित करने के लिए अधिकृत हैं। कोई अन्य व्यक्ति एफडी प्रमाणपत्र का उन्मोचन करने या परिपक्वता भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है, इसलिए सामान्य स्थिति में पहले जमाकर्ता और दूसरे जमाकर्ता के अलावा अन्य का सत्यापन प्रस्तावित नहीं है।

6. ग्राहक पहचान दस्तावेजों के संग्रह की जिम्मेदारी

ऋणदाता पक्ष ग्राहक

डेटा का संग्रह एचओ/आरओ में मूल्यांकन टीम की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा, हडको के केवाईसी दिशानिर्देशों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, ग्राहक से अनुरोध किया जा सकता है कि वे समय-समय पर अद्यतनीकरण के समय या इकाई की संरचना में किसी भी बदलाव के मामले में अपने संबंधित प्रपत्रों को फिर से जमा करें।

उधारकर्ता पक्ष ग्राहक

अरेंजर्स के माध्यम से बोली नहीं लगाने वाले गैर-क्यूआईबी निवेशकों के डेटा का संग्रह करना संसाधन संग्रहण विंग/क्षेत्रीय कार्यालयों की प्राथमिक जिम्मेदारी है; और अंतरण के मामलों में डेटा संग्रह के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन विंग/क्षेत्रीय कार्यालय/रजिस्ट्रार जिम्मेदार होंगे।

7. सीडीडी प्रक्रिया और केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के साथ केवाईसी सूचना साझा करना

- भारत सरकार ने 26 नवंबर, 2015 की राजपत्र अधिसूचना सं.का.आ. 3183(अ) के तहत सीकेवाईसीआर के रूप में कार्य करने और उसके कार्यों को करने के लिए भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और

प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) को अधिकृत किया है।

- पीएमएल नियमों के नियम 9(1क) के उपबंध के अनुसार, हडको को ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड हासिल करने होंगे और ग्राहक के साथ खाता-आधारित संबंध शुरू होने के 10 दिनों के भीतर या ग्राहक आवधिक अद्यतन के दौरान या अन्यथा अद्यतन केवाईसी जानकारी अभिप्रास/प्रास होने पर सीकेवाईसीआर पर अपलोड करना होगा।
- सीईआरएसएआई द्वारा केवाईसी डेटा अपलोड करने के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- आरओ/एचओ, 'व्यक्तियों' और 'विधिक इकाईयों' (एलई), जैसा भी मामला हो, के लिए तैयार किए गए पॉलिसी दस्तावेज के साथ संलग्न केवाईसी टेम्प्लेट के अनुसार सीकेवाईसीआर के साथ साझा करने के लिए केवाईसी जानकारी प्राप्त करेंगे। टेम्प्लेट जैसा कि अपेक्षित हो समय-समय पर संशोधित किए जा सकते हैं और सीईआरएसएआई द्वारा जारी किया जा सकता है।
- 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद खोले गए विधिक इकाईयों(एलई) के खातों से संबंधित केवाईसी रिकॉर्ड को उपरोक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार सीकेवाईसीआर के साथ अपलोड करना होगा। सीईआरएसएआई द्वारा जारी एलई टेम्प्लेट के अनुसार केवाईसी रिकॉर्ड अपलोड किए जायेंगे।
- सीकेवाईसीआर द्वारा एक बार केवाईसी अभिज्ञापक सृजित होने के बाद, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यक्ति/वैध संस्था, जैसा भी मामला हो, को इसकी सूचना दी जाए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसीआर में क्रमिक रूप से अपलोड किए गए हैं, हडको आवधिक अद्यतनीकरण के समय दिशानिर्देशों या पूर्व में विनिर्दिष्ट किए अनुसार ग्राहक से अद्यतन केवाईसी सूचना प्राप्त होने पर आरबीआई के तहत विनियमित इकाई बनने से पहले व्यक्तिगत ग्राहकों और वैध इकाईयों के खोले गए खातों से संबंधित केवाईसी डेटा को अपलोड/अपडेट करेगा ।

7.1 केवाईसी अभिज्ञापक

- (क) इसका तात्पर्य सीकेवाईसीआर पर किसी वित्तीय संस्थान द्वारा अपलोड किए गए केवाईसी विवरण के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट 14 अंकों की विशिष्ट पहचान है।
- (ख) किसी व्यक्ति द्वारा सीकेवाईसी अभिज्ञापक ऐसे किसी भी वित्तीय संस्थान से सीधे प्राप्त की जा सकती है जिसके साथ उसका खाता-आधारित संबंध है।
- (ग) सीकेवाईसी अभिज्ञापक पैन इंडिया वैध हैं और आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए द्वारा विनियमित किसी भी वित्तीय संस्थान के साथ खाता खोलते समय इसका उपयोग किया जा सकता है।
- (घ) जब भी कोई व्यक्ति एक ही केवाईसी दस्तावेज (पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि) बार-बार जमा करने के बजाय किसी वित्तीय संस्थान के साथ नया संबंध शुरू करना चाहता है तो वह सीकेवाईसी पहचान जमा कर सकता है।

(ड) व्यक्तिगत जानकारी में कोई परिवर्तन के बारे में केवल एक संस्था को सूचित किया जा सकता है; अन्य सभी संस्थान जिनके पास व्यक्ति का खाता है, उन्हें सीकेवाईसीआर के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

नोट: सरलता और समझ के उद्देश्य से प्रक्रिया की एक सचित्र प्रस्तुति अनुबंध “क” में दी गई है।

7.2 खाता आधारित संबंध स्थापित करने के लिए सीकेवाईसी अभिज्ञापक का उपयोग

जहां कोई ग्राहक खाता आधारित संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से सीकेवाईसीआर से रिकॉर्ड डाउनलोड करने की स्पष्ट सहमति के साथ हडको को केवाईसी पहचान प्रस्तुत करता है, तो हडको केवाईसी पहचानकर्ता का उपयोग करते हुए सीकेवाईसीआर से केवाईसी रिकॉर्ड ऑनलाइन प्राप्त करेगा और ग्राहक को समान केवाईसी रिकॉर्ड या जानकारी या कोई अन्य अतिरिक्त पहचान दस्तावेज या विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक कि: -

- सीकेवाईसीआर के रिकॉर्ड में मौजूद ग्राहक की जानकारी में बदलाव आया हो।
- ग्राहक के वर्तमान पते को सत्यापित करने की आवश्यकता हो।
- हडको ग्राहक की पहचान या पते को सत्यापित करने के लिए, या अधिक सम्यक तत्परता बरतने के लिए या ग्राहक की एक उपयुक्त जोखिम प्रोफाइल बनाने के लिए इसे आवश्यक समझता है।

नोट: सरलता और समझने के उद्देश्य से प्रक्रिया की एक सचित्र प्रस्तुति अनुबंध क में दी गई है।

8. लेन-देन की निगरानी और निरंतर जांच पड़ताल

हडको ग्राहक की सामान्य और उचित गतिविधि को समझने के लिए प्रयास करेगा ताकि नियमित पैटर्न से बाहर आने वाले लेनदेन की पहचान की जा सके। हालांकि, निगरानी की सीमा लेनदेन की जोखिम संवेदनशीलता पर निर्भर करेगी। जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेन जिनका कोई स्पष्ट आर्थिक या वैध उद्देश्य दिखाई नहीं देता, ऐसे लेनदेन और ग्राहक की निगरानी के लिए ध्यान आकर्षित करना होगा। ग्राहक की पृष्ठभूमि, मूल देश, धन के स्रोत और अन्य जोखिम संबंधी पहलू निगरानी की सीमा को निर्धारित करेंगे। निगरानी की मौजूदा स्थिति को ग्राहक की जोखिम श्रेणी के साथ जोड़ा जाएगा। उच्च जोखिम वाले खातों को अधिक गहन निगरानी के अधीन रखा जाएगा। हडको ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण की समय समय पर समीक्षा करेगा और कम से कम छह महीने में एक बार पूरी सावधानी से उपायों को लागू करने की आवश्यकता होगी।

निरंतर जांच-पड़ताल प्रभावी केवाईसी/एएमएल प्रक्रियाओं का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह सुनिश्चित करने के लिए ग्राहकों की निरंतर जांच की जानी चाहिए कि ग्राहकों के लेनदेन, धन का स्रोत, व्यवसाय और जोखिम प्रोफाइल उनके ज्ञान के अनुरूप हैं।

8.1 आवधिक अपडेशन

हडको केवाईसी के आवधिक अपडेशन के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाएगा। तथापि, उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए दो वर्षों में कम से कम एक बार, मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए आठ वर्षों में एक बार और कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए दस वर्षों में एक बार खाता खोलने/अंतिम केवाईसी अपडेशन की तारीख से या ग्राहक से अद्यतन केवाईसी जानकारी प्राप्त/प्राप्त होने से पहले आवधिक अपडेशन किया जाएगा।

क. व्यक्तिगत ग्राहक:

- **केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं:** केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं होने की स्थिति में, ग्राहक से एक स्व-घोषणा हडको के साथ पंजीकृत ग्राहक की ईमेल-आईडी, पत्र आदि के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।
- **पते में परिवर्तन:** यदि ग्राहक के पते के विवरण में परिवर्तन होता है, तो नए पते की स्व-घोषणा ग्राहक से हडको, पत्र आदि के साथ पंजीकृत ग्राहक की ईमेल-आईडी के माध्यम से प्राप्त की जाएगी, और घोषित पते को दो महीने के भीतर सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा, जैसे कि पता सत्यापन पत्र, संपर्क बिंदु सत्यापन, वितरण योग्य वस्तुएं आदि।
- इसके अलावा, हडको, विकल्प के तौर पर, आवधिक अपडेशन के समय ग्राहक द्वारा घोषित पते के उद्देश्य से ओवीडी या उसके समकक्ष ई-दस्तावेजों की एक प्रति प्राप्त कर सकता है।

ख. व्यक्तियों के अलावा अन्य ग्राहक:

- **केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं:** कानूनी इकाई ग्राहक की केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव न होने की स्थिति में, कानूनी इकाई ग्राहक से हडको के साथ पंजीकृत अपनी ई-मेल आईडी, इस संबंध में कानूनी इकाई के अधिकृत अधिकारी से पत्र, बोर्ड प्रस्ताव आदि के माध्यम से एक स्व-घोषणा प्राप्त की जाएगी। हडको यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रक्रिया के दौरान उनके पास उपलब्ध लाभकारी स्वामित्व (बीओ) जानकारी सटीक है और यदि आवश्यक हो, तो इसे यथासंभव अपडेट करेगा।
- **केवाईसी जानकारी में परिवर्तन:** केवाईसी सूचना में बदलाव के मामले में, हडको एक नई कानूनी इकाई ग्राहक को ऑन-बोर्डिंग के लिए लागू केवाईसी प्रक्रिया अपनाएगा।

8.2 अतिरिक्त उपाय:

उपर्युक्त के अलावा, हडको यह सुनिश्चित करेगा कि, वर्तमान सीडीडी मानकों के अनुसार ग्राहक के केवाईसी दस्तावेज इसके पास उपलब्ध हैं। यह तब भी लागू रहेगा जब ग्राहक की जानकारी में कोई बदलाव नहीं होता है लेकिन हडको के पास उपलब्ध दस्तावेज वर्तमान सीडीडी मानकों के अनुसार नहीं हैं। इसके अलावा, यदि हडको के पास उपलब्ध सीडीडी दस्तावेजों की वैधता केवाईसी के आवधिक अपडेशन के समय समाप्त हो गई है, तो हडको नए ग्राहक को ऑन-बोर्डिंग के लिए लागू केवाईसी प्रक्रिया ही अपनाएगा।

- ग्राहक का पैन विवरण, यदि हडको के पास उपलब्ध है, तो केवाईसी के आवधिक अपडेशन के समय जारीकर्ता प्राधिकरण के डेटाबेस से सत्यापित किया जाता है।
- ग्राहक आधार विवरण, यदि हडको के पास उपलब्ध है, तो एमआधार ऐप या आधार क्यूआर स्कैनर का उपयोग करके आधार के सभी रूपों पर उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन करके सत्यापित किया जाएगा।
- आवधिक अपडेशन करने के लिए ग्राहक से स्व-घोषणा सहित संबंधित दस्तावेज (दस्तावेजों) की प्राप्ति की तारीख का उल्लेख करते हुए ग्राहक को पावती प्रदान की जाती है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवाईसी के आवधिक अपडेशन के समय ग्राहकों से प्राप्त जानकारी/दस्तावेजों को हडको के रिकॉर्ड/डेटाबेस में तुरंत अपडेट किया जाए और ग्राहक को केवाईसी विवरणों के अपडेशन की तारीख का उल्लेख करते हुए एक सूचना प्रदान की जाए।
- हडको द्वारा कोई भी अतिरिक्त और असाधारण उपाय, जहां भी लागू होते हैं, जो उपर्युक्त अनुदेशों के तहत उल्लिखित नहीं हैं, को अपनाया जा सकता है जैसे कि हाल ही का फोटो प्राप्त करके या ग्राहक की व्यक्तिगत उपस्थिति आदि।

8.3 वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी): हडको ऑफलाइन/ फेस टू फेस विधि के माध्यम से अपनी केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करता है। जब भी हडको के लिए वी-सीआईपी की आवश्यकता होगी, वी-सीआईपी के लिए 25 फरवरी, 2016 को अंतिम बार अपडेट किए गए आरबीआई मास्टर निदेश-अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निर्देश, 2016 के अध्याय VI बिंदु संख्या 18 में निहित निर्देशों का पालन किया जाएगा।

9. नामित निदेशक

"नामित निदेशक" से पीएमएल अधिनियम और नियमों के अध्याय IV के तहत लगाए गए दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विनियमित इकाई (आरई) द्वारा नामित व्यक्ति से है और यदि विनियमित इकाई एक कंपनी है तो इसमें निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक शामिल होगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए

- क) निदेशक वित्त पीएमएल अधिनियम के अध्याय IV और नियमों के तहत लगाए गए दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक नामित निदेशक के रूप में कार्य करेगा।
- ख) नामित निदेशक का नाम, पदनाम और पता एफआईयू-आईएनडी को सूचित किया जाएगा।
- ग) किसी भी मामले में, प्रधान अधिकारी को 'नामित निदेशक' के रूप में नामित नहीं किया जाएगा।

10 प्रधान अधिकारी

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, लेनदेन की निगरानी और कानून/विनियमों के तहत आवश्यक जानकारी साझा करने और रिपोर्टिंग करने हेतु आंतरिक लेखा परीक्षा विंग के प्रमुख को प्रधान अधिकारी के रूप में प्रधान कार्यालय में नियुक्त किया जाता है। प्रधान अधिकारी का नाम, पदनाम और पता एफआईयू-आईएनडी को सूचित किया जाएगा।

11. अनुपालन अधिकारी

आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के प्रमुख हडको की केवाईसी नीति के अनुपालन कार्य के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे।

12. अभिलेखों का रख-रखाव और परिरक्षण

पीएमएल अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में ग्राहक खाते की जानकारी के रखरखाव, संरक्षण और रिपोर्टिंग के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि,

- लेनदेन की तारीख से कम से कम पांच साल के लिए कंपनी और ग्राहक, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के बीच लेनदेन के सभी आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखें;
- ग्राहकों की पहचान और खाता खोलते समय और व्यावसायिक संबंध के दौरान प्राप्त उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड को व्यावसायिक संबंध समाप्त होने के बाद कम से कम पांच साल तक संरक्षित रखें;
- अनुरोध पर सक्षम अधिकारियों को पहचान रिकॉर्ड और लेनदेन डेटा उपलब्ध कराना;
- धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 (पीएमएल नियम, 2005) के नियम 3 के तहत निर्धारित लेनदेन के उचित रिकॉर्ड को बनाए रखने की एक प्रणाली शुरू करें।

- पीएमएल नियम 3 के तहत निर्धारित लेनदेन के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी बनाए रखें ताकि निम्नलिखित सहित व्यक्तिगत लेनदेन के पुनर्निर्माण की अनुमति मिल सके:
 - क. लेन-देन की प्रकृति;
 - ख. लेन-देन की राशि और मुद्रा जिसमें इसे दर्शाया गया था;
 - ग. लेनदेन की तारीख आयोजित किया गया था; और
 - घ. लेनदेन वाली पार्टी
- खाते की जानकारी के उचित रखरखाव और संरक्षण के लिए एक प्रणाली विकसित करना जो डेटा को आसानी से, जब भी आवश्यक हो या सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर जल्दी से पुनर्प्राप्त करा सके।
- अपने ग्राहक की पहचान और पते का रिकॉर्ड रखें, और नियम 3 में निर्दिष्ट लेनदेन के संबंध में रिकॉर्ड हार्ड या सॉफ्ट प्रारूप में रखें।
- बोर्ड के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, हडको ने 1 जुलाई 2019 से सार्वजनिक जमा राशियाँ स्वीकार करना बंद कर दिया है। तथापि, हडको सार्वजनिक जमा योजना के अंतर्गत प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर सभी मौजूदा जमा राशियों और निकासियों के उचित रिकॉर्ड की निगरानी करने के लिए जमाकर्ताओं के ब्यौरे वाले अलग-अलग रजिस्टर रखे जाने चाहिए। परिपक्वता/पूर्व-परिपक्वता निकासी के मामले में, हस्ताक्षरकर्ताओं का सत्यापन परिपक्वता/पूर्व-परिपक्व निकासी के समय कानूनी संस्थाओं द्वारा अनुमोदित मूल आवेदन पत्र/नवीनतम प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची से किया जाना चाहिए और राशि का भुगतान केवल निर्दिष्ट बैंक खाते में किया जाना चाहिए।

13. जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन के लिए, हडको ने जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें हडको के मूल्यांकन और जोखिम धारणा के आधार पर ग्राहकों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम श्रेणी के रूप में वर्गीकृत करना शामिल है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) का सार्वजनिक विवरण, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) आदि द्वारा जारी केवाईसी/एएमएल पर रिपोर्ट और मार्गदर्शन नोट्स का उपयोग जोखिम मूल्यांकन में भी किया जा सकता है। क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर, क्षेत्रीय प्रमुख केवाईसी दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं के उचित अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रधान कार्यालय स्तर पर, अनुभाग के संबंधित प्रभारी केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

हडको का आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग अपने ग्राहक को जानिए के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेश के अनुसार केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों का आवधिक निरीक्षण करेगा और गंभीर चूक और जानबूझकर धोखा देने, यदि कोई हो, को भी इंगित करेगा। अनुपालन अधिकारी को आरओ और एचओ द्वारा अनुपालन रिपोर्ट प्रत्येक महीने की 5 तारीख से पहले दायर की जानी चाहिए; इसके अलावा पीडीएस कार्यालयों (आरओ/एचओ) द्वारा त्रैमासिक रिपोर्ट और अनुपालन रिपोर्ट को प्रधान अधिकारी के माध्यम से लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा। हडको का मानव संसाधन विकास या प्रशिक्षण प्रभाग यह सुनिश्चित करेगा कि केवाईसी दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता और निहितार्थ पर चल रहे प्रशिक्षण को नियमित अंतराल पर प्रदान किया जाए।

नोट: यह निर्दिष्ट किया गया है कि कथित जोखिम से संबंधित ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों से एकत्र की गई विभिन्न अन्य जानकारी गैर-हस्तक्षेपकारी है।

14. रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ

14.1 विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और सामान्य रिपोर्टिंग मानकों (सीआरएस) के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकता

एफएटीसीए और सीआरएस के तहत, सभी कार्यालय आयकर नियम 114एफ, 114जी और 114एच के प्रावधानों का पालन करेंगे और यह निर्धारित करेंगे कि क्या वे आयकर नियम 114F में परिभाषित रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान हैं और यदि हाँ, तो रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएंगे:

- रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान के रूप में आयकर विभाग के संबंधित ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण करें incometax.gov.in मेरा खाता रजिस्टर रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान के रूप में पोस्ट लॉगिन करें।
- फॉर्म 61 बी या 'शून्य' रिपोर्ट अपलोड करके 'नामित निदेशक' के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करें, जिसके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा तैयार स्कीम को संदर्भित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: नियम 114 एच के संदर्भ में रिपोर्ट करने योग्य खातों की पहचान करने के प्रयोजनों के लिए उचित जांच प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी कार्यालय <http://www.fedai.org.in/RevaluationRates.aspx> को अपनी वेबसाइट पर फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडएआई) द्वारा प्रकाशित स्पॉट संदर्भ दरों का उल्लेख करेंगे।

- नियम 114एच में दिए गए प्रावधान के अनुसार, उचित परिश्रम प्रक्रिया को पूरा करने और इसे रिकॉर्ड करने और बनाए रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ढांचा विकसित करना।
- आईटी ढांचे के लिए लेखा परीक्षा की एक प्रणाली विकसित करना और आयकर नियमों के नियम 114 एफ, 114 जी और 114 एच के अनुपालन के लिए।
- कार्यकारी निदेशक (एलए), कार्यकारी निदेशक (जीए), कार्यकारी निदेशक (आरएम), कार्यकारी निदेशक (ओ), कार्यकारी निदेशक (एल) सहित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नामित निदेशक या किसी अन्य समकक्ष पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक "उच्च स्तरीय निगरानी समिति" का गठन किया जाएगा।
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा समय-समय पर इस विषय पर जारी अद्यतन अनुदेशों/नियमों/मार्गदर्शन नोटों/प्रेस विज्ञप्तियों/का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा <http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx> वेबसाइट पर उपलब्ध हों। हडको निम्नलिखित पर ध्यान दे सकता है:
क. एफएटीसीए और सीआरएस पर अद्यतन मार्गदर्शन नोट
ख. नियम 114एच (8) के तहत 'वित्तीय खातों को बंद करने' पर एक प्रेस विज्ञप्ति।

14.2 वित्तीय खुफिया इकाई-भारत को रिपोर्ट करना

धन शोधन निवारण निवारण नियमावली के नियम 3 (लेन-देन के अभिलेखों का रख-रखाव) और नियम 7 (सूचना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और तरीका) के अनुसार। 2005 हडको को केवाईसी दिशानिर्देशों के निदेशों के अनुसार निदेशक, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इंडिया यूनिट को सभी संदिग्ध लेन-देनों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करनी होती है, चाहे वे नकद में न किए गए हों। संदिग्ध लेन-देन का निर्धारण करते समय, हडको को समय-समय पर संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम नियमों में निहित संदिग्ध लेनदेन की परिभाषा द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

हडको संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट बनाएगा यदि उसके पास यह विश्वास करने का उचित आधार है कि लेनदेन में

लेनदेन की राशि के बावजूद अपराध की आय शामिल है।

जहां एक ही लेनदेन या एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े लेनदेन की श्रृंखला का मूल्य निर्धारित मूल्य से कम है ताकि पीएमएलए की धारा 12 के प्रावधानों को विफल किया जा सके, प्रधान अधिकारी निर्धारित समय के भीतर निदेशक, वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) को ऐसे लेनदेन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

एफआईयू-आईएनडी द्वारा निर्धारित/जारी रिपोर्टिंग प्रारूप और रिपोर्ट जनरेशन यूटिलिटी और रिपोर्ट सत्यापन उपयोगिता द्वारा निर्धारित रिपोर्ट तैयार करने में सहायता के लिए विकसित रिपोर्टिंग प्रारूपों और व्यापक रिपोर्टिंग प्रारूप मार्गदर्शिकाओं पर ध्यान दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट (एसटीआर) दाखिल करने के लिए संपादन योग्य इलेक्ट्रॉनिक यूटिलिटियों, जिसे एफआईयू-आईएनडी ने अपनी वेबसाइट पर रखा है, का उपयोग हडको द्वारा किया जाएगा क्योंकि इसने अभी तक अपने लाइव लेनदेन डेटा से एसटीआर निकालने के लिए उपयुक्त तकनीकी उपकरण स्थापित/अपनाए नहीं हैं। चूंकि सभी शाखाएं पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत नहीं हैं, इसलिए प्रधान अधिकारी के पास शाखाओं से लेन-देन के विवरण को बाहर निकालने और एसटीआर की संपादन योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपयोगिताओं की मदद से डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फाइल में फीड करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था होगी, जैसा कि एफआईयू-आईएनडी द्वारा <http://fiuindia.gov.in> अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट (एसटीआर) को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि कोई भी लेनदेन, चाहे नकद या गैर-नकद, या अभिन्न रूप से जुड़े लेनदेन की एक श्रृंखला संदिग्ध प्रकृति की है। प्रधान अधिकारी को किसी भी लेनदेन या लेनदेन की एक श्रृंखला को संदिग्ध मानने के अपने कारणों को रिकॉर्ड करना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी क्षेत्रीय कार्यालय से संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई अनुचित देरी न हो। ऐसी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारियों के अनुरोध पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

निदेशक, एफआईयू-आईएनडी को सूचना देते समय, लेन-देन की सूचना न देने में प्रत्येक दिन की देरी या नियम में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे गलत प्रतिनिधित्व वाले लेनदेन को सुधारने में प्रत्येक दिन की देरी को एक अलग उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। हडको उन खतों में परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा जहां एसटीआर दायर किया गया है। हडको एसटीआर की जानकारी देने के तथ्य को पूरी तरह गोपनीय रखेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्तर पर ग्राहक की अहमियत कम न हो।

14.3 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत आवश्यकताएं / दायित्व

अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संप्रेषण

सभी आरओ/एचओ यह सुनिश्चित करेंगे कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 51 ए और उसमें संशोधनों के अनुसार, आतंकवादी लिंक होने के संदेह वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की सूचियों में दिखाई देने वाले व्यक्तियों / संस्थाओं के नाम पर उनका कोई खाता नहीं है, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर प्रसारित किया जाता है। दो सूचियों का विवरण निम्नानुसार है:

क) "आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची", जिसमें अल-कायदा से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम शामिल हैं। अद्यतन आईएसआईएल और अल-कायदा प्रतिबंध सूची <https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/al-qaida-r.xsl> पर उपलब्ध है

ख) "1988 प्रतिबंध सूची", जिसमें तालिबान से जुड़े व्यक्ति (समेकित सूची की धारा ए) और संस्थाएं (धारा शामिल हैं जो <https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/taliban-r.xsl> पर उपलब्ध हैं।

ग) सूचियों में शामिल किसी भी व्यक्ति/संस्था से मिलते-जुलते खातों का विवरण 2 फरवरी, 2021 की यूएपीए अधिसूचना के तहत आवश्यक रूप से गृह मंत्रालय को सलाह देने के अलावा एफआईयू-आईएनडी को सूचित किया जाएगा (मास्टर निदेश- अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निर्देश, 2016 का अनुबंध 2, 25 फरवरी, 2016)।

उपर्युक्त के अलावा, रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर किसी अन्य क्षेत्राधिकार/संस्थाओं के संबंध में परिचालित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अन्य संकल्पों (यूएनएससीआर) पर भी ध्यान दिया जाएगा।

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 51 ए के तहत संपत्ति जब्त करना यूएपीए के 2 फरवरी, 2021 के आदेश (मास्टर निदेश-अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) निर्देश, 2016 का अनुलग्नक-II) में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाएगा और सरकार द्वारा जारी आदेश का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। यूएपीए के लिए नोडल अधिकारियों की सूची गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

15. मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम आकलन

क. हडको द्वारा ग्राहकों, देशों या भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सेवाओं, लेनदेन या वितरण चैनलों आदि के लिए अपने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम की पहचान करने, आकलन करने और प्रभावी उपाय करने के लिए समय-समय पर मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) जोखिम मूल्यांकन अभ्यास किया जाएगा।

मूल्यांकन प्रक्रिया को समग्र जोखिम के स्तर पर लागू किए जाने से पहले सभी प्रासंगिक जोखिम कम करने वाले कारकों पर विचार करना चाहिए। आंतरिक जोखिम मूल्यांकन तैयार करते समय, हडको समग्र क्षेत्र-विशिष्ट कमजोरियों, यदि कोई हो, का संज्ञान लेगा, जिसे नियामक / पर्यवेक्षक समय-समय पर साझा कर सकता है।

ख. जोखिम मूल्यांकन को उचित रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए और प्रकृति, आकार, भौगोलिक उपस्थिति, जटिलता / संरचना आदि के अनुपात में होना चाहिए। कंपनी के। इसके अलावा, जोखिम मूल्यांकन अभ्यास की आवधिकता का निर्धारण बोर्ड द्वारा जोखिम मूल्यांकन अभ्यास के परिणाम के साथ संरेखण में किया जाएगा। हालांकि इसकी समीक्षा कम से कम सालाना की जानी चाहिए।

ग. जोखिम प्रबंधन प्रभाग वार्षिक आधार पर उपर्युक्त जोखिम मूल्यांकन अभ्यास करेगा। इस प्रक्रिया के परिणाम बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के समक्ष रखे जाएंगे और सक्षम प्राधिकारियों और स्व-विनियमन निकायों के लिए उपलब्ध होने चाहिए। हडको पहचाने गए जोखिम के शमन और प्रबंधन के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) लागू करेगा और इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां, नियंत्रण और प्रक्रियाएं होनी चाहिए। इसके अलावा हडको नियंत्रणों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और यदि आवश्यक हो तो उन्हें बढ़ाएगा।

16. अन्य निर्देश

16.1 मौजूदा ग्राहकों के लिए केवाईसी

संशोधित दिशानिर्देश सभी नए ग्राहकों पर लागू होंगे, हालांकि, मौजूदा खातों में लेनदेन की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और खातों के संचालन में किसी भी असामान्य पैटर्न की तुरंत समीक्षा की जानी चाहिए।

16.2 कर्मचारियों की भर्ती और कर्मचारी प्रशिक्षण

उनकी कार्मिक भर्ती/ भर्ती प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में पर्याप्त जांच-तंत्र स्थापित किया जाएगा।

- सतत कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित किये जायेंगे ताकि कर्मचारियों के सदस्यों को एएमएल /सीएफटी नीति में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जा सके। प्रशिक्षण का फोकस फ्रंटलाइन स्टाफ, अनुपालन कर्मचारियों और नए ग्राहकों के साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अलग होगा। फ्रंट डेस्क स्टाफ को ग्राहक शिक्षा की कमी से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को संभालने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। हडको की एएमएल/सीएफटी नीतियों, विनियमन और संबंधित मुद्दों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और अच्छी तरह से वाकिफ व्यक्तियों के साथ ऑडिट फंक्शन की उचित स्टाफिंग सुनिश्चित की जाएगी।

16.3 हडको द्वारा अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) दिशानिर्देशों का पालन तथा दलालों/एजेंटों आदि सहित हडको द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति।

- जमा राशि एकत्र करने के लिए हडको द्वारा अधिकृत व्यक्ति और उनके दलाल/एजेंट या इसी तरह, एनबीएफसी/आरएनबीसी पर लागू केवाईसी दिशानिर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन करेंगे।
- केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुपालन को सत्यापित करने और दलालों/एजेंटों आदि सहित हडको द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किसी भी उल्लंघन के पूर्ण परिणामों को स्वीकार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जो इसकी ओर से काम कर रहे हैं।
- दलालों/एजेंटों सहित हडको द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के खातों की बाहिया, जहां तक वे कंपनी के ब्रोकरेज कार्यों से संबंधित हैं, जब भी आवश्यक हो, लेखा परीक्षा और निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।

16.4. खाता बंद करना या व्यावसायिक संबंध समाप्त करना

जहां हडको सूचना न देने और/या ग्राहक द्वारा असहयोग के कारण उपयुक्त केवाईसी उपायों को लागू करने में असमर्थ है, वहां हडको सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ असाधारण मामलों को छोड़कर ऐसा निर्णय लेने के कारणों को स्पष्ट करते हुए ग्राहक को उचित नोटिस जारी करने के बाद खाता बंद करने या व्यावसायिक संबंध समाप्त करने पर विचार कर सकता है।

16.5. हडको की केवाईसी नीति में अपडेशन

हडको केवाईसी और एएमएल नीति में संशोधन/संशोधन करेगा ताकि यह भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसे अन्य सांविधिक प्राधिकरण की आवश्यकताओं/अद्यतनों/संशोधनों के अनुरूप हो।

नोट: नीति दस्तावेज में निहित नियमों और शर्तों को विषय वस्तु की बेहतर समझ के लिए सरल बनाया गया है, हालांकि राय / समझ में किसी भी भिन्नता के मामले में; आरबीआई मास्टर निर्देश 2016 में निहित सामग्री और उसमें संशोधन लागू होंगे।

सीकेवाईसी पहचानकर्ता कैसे प्राप्त करें / उपयोग करें
पहली बार एक व्यक्ति वित्तीय संबंध शुरू करता है
व्यक्तिगत ग्राहक / कानूनी जानकारी

केवाईसी दस्तावेज़ जमा करें

वित्तीय संस्थान

खाता/संबंध खोलना

संस्था ने सीकेवाईसीआर को केवाईसी रिकॉर्ड प्रस्तुत किया

सीकेवाईसीआर, सीकेवाईसी पहचानकर्ता उत्पन्न करता है और इसे वित्तीय संस्थान को प्रदान करता है

व्यक्तिगत ग्राहक / कानूनी इकाई वित्तीय संस्थान से अपना सीकेवाईसी पहचानकर्ता प्राप्त कर सकते हैं

अगली बार जब कोई व्यक्ति वित्तीय संबंध शुरू करता है
सीकेवाईसी पहचानकर्ता रखने वाली व्यक्तिगत ग्राहक / कानूनी इकाई

इसे वित्तीय संस्थान को प्रदान करें

वित्तीय संस्थान सीकेवाईसीआर को सीकेवाईसी डाउनलोड अनुरोध देगा

सीकेवाईसीआर वित्तीय संस्थान को केवाईसी विवरण देगा

खाता खोला गया

hudco